उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-2

संख्या- 15/2595/26-2-2014-100(2)/2008

लखनऊः दिनांक 20 अक्टूबर, 2014

अधिसूचना

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण-अधिनियम-2007 (अधिनियम संख्या-56, सन् 2007) की धारा-7 की उपधारा-(1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-5 के अधीन भरण-पोषण के आदेश पर न्याय निर्णयन और विनिश्चय करने के प्रयोजन से राज्य में प्रत्येक राजस्व जिलों की प्रत्येक तहसील में भरण-पोषण अधिकरण का गठन करते है। प्रत्येक अधिकरण की अध्यक्षता सम्बन्धित उपखण्ड की अधिकारिता वाले उपखण्ड अधिकारी द्वारा की जायेगी।

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या- 2595 (1)26-2-2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निदेशक, राजकीय मुद्रणालय को सूचना एवं राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 2000 मुद्रित प्रतियां इस विभाग को भेजने की कृपा की जाय।

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या- 2595 (2)/26-2-2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- ई गजट प्रकोष्ठ, वित्त विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को सीडी सहित आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 2595 (3)/26-2-2014 तददिनांक।

प्रतिलिपि- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश/आयुक्त, उत्तर प्रदेश/महामहिम राज्यपाल के प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश/माननीय मुख्य मंत्री के प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश/सभी विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश/समस्त मण्डलायुक्त/सभी जिलाधिकारी/पुलिस महानिदेशक/सभी पुलिस महानिरीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक/ सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001/माननीय विभागीय मंत्री के निजी सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या- 2595 (4)/26-2-2014 तददिनांक।

प्रतिलिपि- महानिबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in